माणिक दास व अन्य

बनाम

असम राज्य

31 मई 2007

[डॉ अरिजीत पासायत और डी.के. जैन, न्यायमूर्ति]

दंड सहिता, 1860:

एस.एस. 302/34-हत्या-संयुक्त दायित्व-विचारण न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की पुष्टि की अभिनिर्धारित किया : दायित्व का सार एक सामान्य आशय के प्रयोग में पाया जाना चाहिये, जिससे कि आरोपी अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस तरह के सामान्य आशय के अग्रसरण में एक आपराधिक कृत्य में धारा 34 तब भी लागू होती है, जब किसी विशेष आरोपी द्वारा खुद कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो। तथ्यों पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पाई गई चोटें चश्मदीद गवाहों द्वारा दिये गये संस्करण के अनुरूप है। दो चश्मदीद गवाह ने स्पष्ट रूप से चार आरोपियों का नाम लिया, उनमें से एक ने पांचवे आरोपी का विशेष रूप से नाम लिया, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा।

अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत

दण्डनीय अपराध के लिए विचारण का सामना करना पड़ा। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पांच आरोपियों ने शिकायतकर्ता के भाई पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विचारणीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की अपील खारिज कर दी, उन्होंने तत्काल अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में धारा 34 आईपीसी का कोई अन्तर्वस्तु नहीं थी, क्योंकि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति स्थापित नहीं की गई थी, और किसी भी स्थिति में जिन व्यक्तियों के नाम एफआईआर में नहीं थे, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये था।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर अभिनिर्धारित किया गया कि:-

1.1 आईपीसी की धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई मूल अपराध नहीं बनाती है। सामान्य आशय के आरोप को सामने लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य। सभी आरोपियों के मन में उस अपराध को करने की योजना या बैठक थी, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्वनियोजित

हो या तात्कालिक, लेकिन यह अपराध करने से पूर्व आवश्यक रूप से होना चाहिये। [पैरा 7] [866 ई एफ जी]

अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1977) एस.सी. 109 से अवलम्ब लिया गया

1.2 धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक सामान्य आशय के अस्तित्व का पाया जाना है, जो आरोपी को सामान्य आशय के अग्रसरण में आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के लागू होने के परिणामस्वरूप जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है तो कानून में इसका मतलब है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण मृतक की मृत्यु उसी तरह हुई, जैसे कि यह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया था। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले को पूरा करना है, जिसमें किसी पक्षकार के व्यक्तिगत सदस्यों के कृत्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करने के लिए कि उनमें से प्रत्येक ने वही हिस्सा लिया था। धारा 34 तब भी लागू होगी भले ही विशेष अभियुक्त द्वारा कोई चोट ना पहुंचाई गई हो। धारा 34 को लागू करने के लिए मृतक के लिये कोई स्पष्ट कार्य दिखाना आवश्यक नहीं है। [पैरा 11] [867 डी ई एफ जी]

सीएच. पुल्ला रैड्डी व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, एआईआर

(1993) एस.सी. 1899 से अवलम्ब लिया गया ।

1.3 मौजूदा मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई चोटें चश्मदीद गवाहों द्वारा दी गई बात से मेल खाती है। पी0 डब्ल्यू 3 व 7 दोनों ने स्पष्ट रूप से चार व्यक्तियों के नाम बताये, इसके अलावा पी0 डब्ल्यू 3 ने पांचवे आरोपी का नाम बताया। हालांकि पी0 डब्ल्यू 7 ने पांचवे आरोपी व्यक्ति का विशेष रूप से नाम नहीं लिया है, लेकिन उसने एक अन्य आरोपी की उपस्थिति के बारे में बताया है। इस परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को स्थापित करने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों पर विस्तार से विश्लेषण किया व इसे स्पष्ट व ठोस पाया है। [पैरा 11 और 12] [867-जी ; 868-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 1254/2006

असम के उच्च न्यायालय की गुवाहाटी पीठ द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर 246/2004 के आदेश दिनांक 26.04.2006 के विरूद्ध अपील

अपीलकर्ता की ओर से राजशेखर रॉय व सेंथिल जगदीसन

प्रत्यर्थी की ओर से अभिजीत रॉय (कॉपरेट लॉ ग्रुप)

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

डॉ0 अरिजीत पासायत, न्यायमूर्ति 1 इस अपील में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज

करने के फैसले के लिए है। यह अपील विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.08.2004 के फैसले के खिलाफ पेश की गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 सपठित 34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 2 हजार रूपये के जुर्माने व व्यतिक्रम पर कारावास से दंडित किया गया।

2. संक्षेप में परिस्थिति व तथ्य इस प्रकार हैं:

27 दिसम्बर 2000 को सुबह लगभग 11 बजे अनिल दास बाद में (मृतक के रूप में संदर्भित) के भाई प्रोबिन दास ने टेऑक पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी को शिकायत की कि लगभग 6 बजे उसी दिन श्री माणिक द्वारा पुत्र स्वर्गीय श्री दुतीदास, श्री विमल दास पुत्र स्वर्गीय श्री माणिक दास, श्री दीपक दास पुत्र श्री माणिक दास व दो अन्य लोगों ने साथ मिलकर उसके भाई श्री अनिल दास पर भाले से हमला किया, जिससे वह खेत में जुताई करते समय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने यह भी कहा कि मृतक अनिल दास को इलाज के लिए काकाजन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्तानुसार एक केस नंबर 35/2000 दिनांक 27.12.2000 धारा 147 एवं 302 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था।

3. दिनांक 4 जनवरी 2001 को कथित घटना के लगभग 1 सप्ताह

बाद प्रत्यक्षदर्शी फूकनदास पी0ड0 1 और कुनमोनी बौरा पी0ड0 7 के बयान धारा 164 सीआरपीसी में न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी जोरहाट द्वारा दर्ज किये गये। 13 मई 2002 को आईपीसी की धारा 302 और 147 के तहत दण्डनीय अपराधों के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 45/2002 दायर किया गया था। 27 अक्टूबर 2003 के आदेश के अनुसार मामला विद्वान एसडीजेएम (एस) जोरहाट द्वारा सत्र न्यायाधीश जोरहाट की अदालत में आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 147 के अपराधों की सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। 13 नवम्बर 2003 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जोरहाट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत आरोप विरचित किये।

4. विचारण न्यायालय ने जैसा कि उपर बताया गया है, आरोपी को दोषी ठहराया, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की।

5. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्राथमिक रुख यह है कि धारा 34 का मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए घटना स्थल पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति स्थापित करनी होगी। उनके मुताबिक ऐसा नहीं किया गया है। यह इंगित किया गया है कि पी0डब्ल्यू 3 व 7 को चश्मदीद गवाह और पी0ड0 5 व 6 को ऐसे गवाह बताये गये हैं, जिन्होंने आरोपियों को घटना स्थल से भागते हुए देखा था, उनकी उपस्थिति स्थापित करनी थी, किन्तु ऐसा नहीं

किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा किये गये हमलों के बारे में बताया है, उनके बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किये गये। वे मृतक से संबंधित हैं, इसलिए उनके साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिये। हालांकि पी0ड0 3 ने सभी आरोपियों के नाम बताये हैं, पी0ड0 1 ने उनमें से केवल 4 का नाम लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं, इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि धारा 34 को लागू कर किसी भी स्थिति में उन व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये, जिनके नाम एफआईआर में नहीं थे।

6. जवाब में राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहों की गवाही स्पष्ट व ठोस है, केवल इसलिए कि वह मृतक से संबंधित है, उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। जांच दौरान दिये गये बयानों और न्यायालय में दिये गये सबूतों में कोई अंतर नहीं है। पी0ड0 3 व पी0ड0 7 जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रत्येक आरोपी व्यक्ति की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है।

7. धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई मूल अपराध नहीं बनाती है। धारा की विशिष्ट विशेषता कार्यवाही में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के

दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है। यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और साबित परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय के आरोप को सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन में उस अपराध को करने की योजना या सहमति थी, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है। धारा 34 चाहे पूर्वनियोजित हो या तत्कालिक हो, लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिये। इस धारा की विषय वस्तु यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही किया हो। जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1977) एस.सी. 109 में बताया गया है। किसी अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य आशय का अस्तित्व इस आशय के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाये गये कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान हो। कार्य भूमिका में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को

आकर्षित करने के लिए एक ही सामान्य आशय से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

8. जैसा कि यह मूल रूप से था, धारा 34 निम्नलिखित शब्दों में थी।

> ''जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है, जैसे कि वह कार्य अकेले उसी ने किया हो''

9. 1870, में इसमें 'सामान्य आशय के अग्रसर में' शब्द शामिल करके संशोधन किया गया था। 'व्यक्ति' शब्द के बाद और 'प्रत्येक' शब्द से पहले सभी के सामान्य आशय का ताकि धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। यह स्थिति महबूब शाह बनाम सम्राट एआईअर (1945) प्रीवी काउंसिल 118 में बताई गई है।

10. धारा 'सभी का सामान्य आशय' नहीं कहती है, न ही यह कहती है कि 'और सभी का आशय समान है'। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाना है, जो आरोपी को ऐसे सामान्य आशय के अग्रसर में आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी अभियुक्त को विधि की सपठित धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है तो इसका मतलब है कि अभियुक्त उस कार्य के लिए उत्तरदायी है,

जो मृतक की मृत्यु का कारण बना, जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामलों को पूरा करना है, जिसमें कार्य करने वाले पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, जो सभी के सामान्य आशय के अग्रसर होकर किया जाता है और यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि सीएच. पुल्ला रैड्डी व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, एआईआर (1993) एस.सी. 1899 में बताया गया है कि धारा 34 तब भी लागू होती है, जब विशेष आरोपी ने स्वयं कोई चोट नहीं पहुंचाई हो। धारा 34 को लागू करने के लिए आरोपी की ओर से कुछ प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

11. यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई चोटें चश्मदीद गवाहों द्वारा दिये गये बयान से मेल खाती है। दोनों पी0 डब्ल्यू 3 व 7 ने स्पष्ट रूप से चार व्यक्तियों के नाम बताये हैं, इसके अलावा पी0 डब्ल्यू 3 ने पांचवे आरोपी का नाम बताया है। हालांकि पी0 डब्ल्यू 7 ने विशेष रूप से पांचवे आरोपी का नाम नहीं बताया है, लेकिन उसने एक अन्य आरोपी के मौजूद होने की बात कही है।

12. इस परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन आरोप को स्थापित करने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण किया व इसे स्पष्ट व ठोस

पाया है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संतोष मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।